

प्रेस नोट थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर दिनांक 22.04.2024

चोरी का अपराध कारित करने के आरोप में 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का माल बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा चोरी के अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी के संबंध में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी बांसगांव के पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष बांसगांव के नेतृत्व में 30नि0 अश्वनी कुमार चौबे मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 209/2024 धारा 380,381 भादवि0 से संबंधित अभियुक्त अरविन्द कुमार पुत्र स्व0 हरेन्द्र यादव निवासी ग्राम चौकीया डुमराव थाना कृष्णा बरहम जिला बक्सर, बिहार को चोरी का 02 अदद गैस सिलेण्डर, 02 अदद प्लाई कटर मशीन, 03 अदद सरिया कटर मशीन, 01 अदद टुल्लू पम्म, 86 कि0ग्रा0 लोहे का सरिया व 26 कि0ग्रा0 लोहे की कील के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 411 भादवि की बढ़ोतरी की गयी। अग्रिम विधिक कार्यवही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

S.N.T. कम्पनी जो जल निगम विभाग के साथ पानी की टंकी बनाने का कार्य करती है। वर्तमान में ग्राम टड़वा स्थित साइड पर कार्य करने वाले मजदूर द्वारा साइड पर से सरिया, ग्लेन्डर मशीन, गैस सिलेण्डर, फार्मा कील आदि सामान चोरी कर लेने के संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

अरविन्द कुमार पुत्र स्व0 हरेन्द्र यादव निवासी ग्राम चौकीया डुमराव थाना कृष्णा बरहम जिला बक्सर, बिहार

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 209/2024 धारा 380,381,411 भादवि0 थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर

बरामदगी-

चोरी का 02 अदद गैस सिलेण्डर, 02 अदद प्लाई कटर मशीन, 03 अदद सरिया कटर मशीन, एक अदद टुल्लू पम्म, लोहे का सरिया 86 कि0ग्रा0 व लोहे की कील 26 कि0ग्रा0

गिरफ्तारी की टीम-

- 30नि0 अश्वनी कुमार चौबे थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर
- कां0 मनोज कुमार दूबे थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर
- कां0 दुर्गविजय चौहान थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर